रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72 REGISTERED No D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 1983/ज्येष्ठ 11, 1905
No. 30] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 1983/JYAISTHA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 1983

आ. अ. 60(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि तारीख 3 अक्तूबर, 1979 को इसकी अधिसूचना सं. 434/आ. प्र./79(2) में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद संख्या 36 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "(4) विशेष उप-कलक्टर एम.

ए. यूनिट-5, करीम नगर, तथा (5) विशेष उप-कलक्टर एल. ए. सह लोकलाइजेशन यूनिट, करीम नगर" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं. 434/आ. अ./82 (2)]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 1983

**O.N. 60/(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following fur-their amendments shall be made in its notification No. 434/AP/79(2), dated 3rd October, 1979, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification for the existing entries against item 36, the entries (4) Special Deputy Collector LA Unit-V, Karimnagar and (5) Special Deputy Collector LA-Cum-Localisation Unit, Karimnagar" shall be substituted.

[No. 434/AP/82(2)]

By order,

K. GANESAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983